

सम्माननीय अध्यापक साथियों, सादर नमस्कार

वर्ष 2019 समाप्ति की ओर है , इसके साथ ही हमारे वेतन से विभिन्न प्रकार की कर कटौतीयां भी प्रारम्भ होने लगेंगी, आप के मन में इस विषय को लेकर कई प्रश्न होंगे उनका जवाब और अधिकतम जानकारी जुटाने का, का प्रयास किया है ,

वृत्तिकर (राज्य का प्रत्यक्ष कर)

मध्यप्रदेश की सीमाओं के भीतर जिविकाउपार्जन करने के बाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है , जो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निकायों, सरकारी क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल, केंद्र सरकार के उपक्रम में वेतन या मजदूरी पर नियोजित हो अथवा खयं के व्यवसाय से आय अर्जित करता हो उस पर यह कर लागू होता है । कृषि आय, बोनस, पैशन और उपादान (ब्रेज्युटी) को इस कर से मुक्त रखा गया है । वित वर्ष 2019– 20 के लिए वृत्ती कर में कुछ बदलाव किए गए हैं । जो इस प्रकार हैः :-

वृत्तिकर की दरें (1 अप्रैल 2019 से लागू)

आय प्रतिवर्ष	कर की दर प्रतिवर्ष
रुपये 225000 तक	कुछ नहीं
रुपये 225001 से 300000 तक	रुपये 1500 प्रतिवर्ष
रुपये 300001 से 400000 तक	रुपये 2000 प्रतिवर्ष
रुपये 400001 से अधीक	रुपये 2500 प्रतिवर्ष

आयकर (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर)

वेतन, पैशन, मकान-संपत्ति से आय, व्यापर, केपिटल गेन, अन्य स्रोत से आय को आयकर गणना में लिया जाता है (कृषि आय को छोड़कर), वित वर्ष 2019 – 20 (कर निर्धारण वर्ष 2020-21) के लिए आयकर में कुछ बदलाव किए गए हैं । 60 वर्ष तक के महिला/पुरुषों के लिए वित वर्ष 2019-20 की आयकर स्लेक इस प्रकार हैः :-

आय की सीमा	आयकर की दरें	शिक्षा+उच्चशिक्षा उपकर
2,50,000 तक	निरंक	-
2,50,001 से 5,00,000 तक	5 प्रतिशत	करयोन्य राशी का 4 प्रतिशत
5,00,001 से 10,00,000 तक	20 प्रतिशत	करयोन्य राशी का 4 प्रतिशत
10,00,001 से अधीक	30 प्रतिशत	करयोन्य राशी का 4 प्रतिशत

स्टेंडर डिडक्शन –

केंद्र सरकार ने वित वर्ष 2019-20 के लिए 50000 रुपए का स्टेंडर डिडक्शन किया गया है , इसका लाभ वेतन भोगी नागरिकों को ही मिलेगा , स्टेंडर डिडक्शन सकल आय से घटाया जाएगा । परंतु सरकार ने परिवहन भत्ते पर मिलने वाली 19200 की छूट (सर्व शिक्षा अभियान मे कार्यरत अध्यापक साथी ही इसके दायरे मे आते थे) एव विकित्सा भत्तों पर मिलने वाली 15000 की छूट समाप्त कर दी है । स्टेंडर डिडक्शन को इस प्रकार समझें , अबर आपकी सकल आय 4 लाख रुपए है तो , 50 हजार रुपए इसमें से पहले ही घटा रीजिए । बची हुई 3 लाख 50 हजार रुपए की आमदनी का उल्लेख आयकर गणना पत्रक मे किया जाएगा ।

सुरेश यादव अध्यापक @ इंदौर / रत्नाम 9926809650

नवीन शिक्षकसंघर्ष के आदेश हेतु हमारी वेब साइट www.twtamp.in का अवलोकन करें निरन्तर2

रिबेट (87 ए) -

5 लाख तक की आय पर टेक्स रिबेट 12500 रुपये, उदाहरण के लिए आप की कर योन्या आय 5 लाख बची है (सभी छूट एवं देनदारियों के बाद), तो आप की कुल कर योन्या राशी 12500 हुई , आप को 12500 रुपए की रिबेट का लाभ मिलेगा और आप को आयकर जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु कर योन्या आय 500001 है तो रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा ।

आयकर के विभीन्न नियमों का लाभ लेकर कर की बचत -

इस प्रकार आयकर छूट सीमा के बाहर भी विभीन्न उपायों का लाभ लेकर कर हम अपने आप को आय कर से बचा सकते हैं, जनकारी के लिए हमने यह सारणी बनायी है, यह उपाय एक नागरिक का कानूनी अधिकार है

आय कर की धारा	कर मुक्त की गयी राशी	उपयोग	विशेष विवरण
80 C	1,50,000	जीवन बीमा , यूलिप प्लान, सुकन्या, इ.एल.एस.एस, पीपीएफ, समान्य भविष्य निधि (कर्मचारी का अंशदान), राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एन एस सी), पंचवर्षीय जमा खाता (FD), गृह ऋण वापसी (मूलधन), स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क, शिक्षण शुल्क भुगतान, डाकघर सावधि जमा खाता, इन्फारेट्रोवर बांड, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एन एस सी), पंचवर्षीय जमा खाता (FD) से प्राप्त आय कर योन्या होती है
80 CC	कोई सीमा नहीं	पेंशन प्लान अंतर्गत प्राप्त अन्युटी राशी	जैसे NPS में अंतिम भुगतान पर 40% राशी
80 CCC	कोई सीमा नहीं	सरकारी या निजी कंपनी की पेंशन योजना में निवेश	80C और 80 CC की छूट 1,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिये
80 CCD 1	1,00,000	राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) अंतर्गत कर्मचारी का अंशदान	NPS अंतिम भुगतान में 60% राशी करयोन्य है
80 CCD 1B	50,000	राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) अंतर्गत कर्मचारी की स्वेच्छिक जमा राशी	यह जमा पूर्णतः स्वेच्छिक है
80 CCD 2	1,00,000	राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) अंतर्गत नियोक्ता का अंशदान	NPS अंतिम भुगतान में 60% राशी करयोन्य है
80 D	25,000 50,000	मेडिकलेम पालिसी (स्वयं, जीवन साथी, बच्चों की) आश्रित मातापिता का मेडिकलेम	पति पत्नी दोनों आयकर के द्वारे में हैं तो लाभ एक को मिलेगा

सुरेश यादव अध्यापक @ इंदौर / रतलाम 9926809650

नवीन शिक्षकसंघ के आदेश हेतु हमारी वेब साइट www.twtamp.in का अवलोकन करें निरन्तर2

80 DD	75,000 1,25,000	दिव्यांग आश्रित के इलाज का खर्च 40% से 80%तक विकलांग 80% से अधिक विकलांग	अधिकतम 1,25,000 खर्च
80 DDB	निम्न राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो से मुक्ति 40,000 100000	स्वयं या आश्रित के इलाज का खर्च 60 से कम आयु वर्ग के लिए 60 से अधिक आयु वर्ग के लिए	धारा 11DD अंतर्गत चिन्हित नंभीर बीमारियों (1. Neurological diseases 2. Cancer 3. AIDS 4. Chronic Renal Failure 5. Hemophilia6. Thalassaemia) परि पत्नी दोनों आयकर के द्यारे में हैं तो लाभ एक को मिलेगा
80 E	कोई सीमा नहीं	बच्चों और जीवन साथी की उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की राशी कर मुक्त रहेगी	केवल 8 वर्ष तक के ब्याज को ऋण मुक्त रखा गया है
80 EE	2,50,000	1 अप्रैल 2016 के बाद पहली बार गृहस्वामी बनने पर, गृह ऋण की ब्याज राशी कर मुक्त रहेगी	31 मार्च 2016 से पहले के गृहऋण के ब्याज पर छूट सीमा 2,00,000 थी
80 G	कोई सीमा नहीं	राष्ट्रीय, धर्मिक, परमार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान राशी 50% से 100% कर मुक्त	आयकर विभाग द्वारा जारी संस्थाओं की सूचि अनुसार
80 GG	60,000/- वेतन का 25% किराया से मूल वेतन का 10% घटाने पर शेष राशी तीनों में से जो भी कम हो	मकान कियाया, मकान मालिक का PAN और रसीद लगेगी एवं मकान नहीं होने का घोषणा पत्र लगेगा	यदि वेतन में गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिलता है या वर्ष में कभी भी गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिला है।
80 GGB	कोई सीमा नहीं	कंपनी द्वारा राजनीतिक दल को दिया गया चंदा	नगट भुगतान को छूट नहीं
80 GGC	कोई सीमा नहीं	व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल को दिया गया चंदा	नगट भुगतान को छूट नहीं
80 RRB	3,00,000	पेटेंट और प्रकाशन की शयली कर मुक्त रहेगी	सरकारी कर्मचारी होने पर विभागीय नियमों अनुसार ही लाभ मिलेगा
80 TTA 1	10,000 50,000	बचत खाते का ब्याज 60 वर्ष से अधिक के नागरिकों के लिए	

80 U	75,000 1,25,000	दिव्यांग व्यक्ति को आयकर छुट 40 प्रतिशत तक दिव्यांग 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग	
89 1	कोई सीमा नहीं	एसियर की राशी ,जिस वर्ष की आय का अंतर है उस वर्ष की टेक्स स्लेब के अनुसार आयकर की गणना की जाएगी	फार्म 10 E की पूर्ति करना होगी

अब हम कुछ उदाहरण देख कर गणना करने का प्रयास करते हैं

सभी ऋोत से सकल आय	395000/-	605000/-	690000/-
स्टेंडर डिव्यांग	50000/-	50000/-	50000/-
वृत्ती कर	2000/-	2500/-	2500/-
शेष आय	343000/-	552500/-	637500/-
80 C अंतर्गत कर मुक्त राशी	-	53000/-	92000/-
80 D अंतर्गत कर मुक्त राशी	-	-	7500/-
80 GG मकान किसाया	-	-	35000/-
कुल कर योन्य नेट आय	343000/-	499500/-	503000/-
स्लेब अनुसार आयकर	4650/-	12475/-	13100/-
87 A अंतर्गत रिबेट 12500/- तक	4650/-	12475/-	-
कुल देय आयकर	0	0	13100/-
शिक्षा उपकर 4 %	0	0	524/-
कुल देय कर	0	0	13100 + 524 = 13624/-

आयकर DDO द्वारा स्वयं को चालान से जमा करने के लिए भी कहा जा सकता है, या एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से भी काटा जा सकता है। आप गणना पत्रक देने के पश्चात, कर कटौति की रसीद (फार्म 16) प्राप्त करना न भूलें, एवं इसके पश्चात तत्काल आयकर रिटर्न फाइल करें जुलाई या अगस्त माह का इंतजार न करें। रिटर्न फाइल करना कर्मचारी का दायित्व है, अतः DDO के भरोसे न बैठे रहें। यह जानकारी नवम्बर 2019 तक के नियमों के आधार पर तैयार की गयी है, यदि नियमों में बदलाव होता है तो नवीन जानकारी प्रदान की जाएगी। **सुरेश यादव (इंदौर / रतलाम)**, माध्यमिक शिक्षक, प्रदेश महासचिव ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसियेशन MP, 9926809650 किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हेतु कृपया कॉल न करें, वाट्सएप मेसेज पर अपना परिचय देकर प्र०न करें।